आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

09/03/21

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

दाखिल खारीज अपीलवाद संख्या 20/2020–2021

चन्द्रमणी देवी वनाम् मो० हसन मियाँ एवं अन्य

आदेश

यह दाखिल खारिज अपीलवाद चन्द्रमणी देवी, पति–रामाश्रय यादव, ग्राम–ढ़ोढ़रा, टोला–मुसन विगहा, थाना–कुर्था, अंचल–कुर्था, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल खारीज वाद संख्या–149R27/2020–2021 में दिनांक 18.09.2020 को अंचल अधिकारी, कुर्था के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व दायर किया है। विवादित भूमि निम्न हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहदी
85	504	5.5 डी०	

मौजा–ढ़ोढ़रा, थाना–कुर्था, थाना संख्या–102, अंचल–कुर्था, जिला–अरवल।

अपील दायर करने में हुए विलम्ब पर अपीलार्थी के सुनने के उपरान्त वाद की प्रविष्टी की गई। उतरवादीगण को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उतरवादीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गईं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) विवादित भूमि अपीलार्थी ने निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 08.07.2019 को खरीदगी भूमि है।

(2) विवादित भूमि का जमाबंदी भूमि विकेता मो० हसन के भाई अब्दुल्लाह के नाम पर चल रहा है जिन्होने दाखिल खारिज करने में कोई आपति दाखिल नही किया है।

(3) विवादित भूमि पर खरीदगी के पश्चात् शांति पूर्वक दखल कब्जा है।

(4) अंचल अधिकारी, कुर्था द्वारा राजस्व कर्मचारी के गलत जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आदेश पारित किया है जो कानूनन गलत है।

(5) अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में धारा 147 द० प्र० सं० मुकादमा रास्ता के लिए विवादित भूमि के पूरब खडण्चा वाला रास्ता को लेकर चल रहा है।

(6) अंचल अधिकारी, कुर्था के द्वारा अपीलार्थी के वसीका के आलोक में आदेश पारित नही किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, कुर्था के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–149R27/20–21 में पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उतरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) वादग्रस्त भूमि उतरवादी संख्या–01 का था जो दिनांक 08.07.2019 को निबंधित केवाला के माध्यम से अपीलार्थी के द्वारा विकी किया गया।

(2) उपरोक्त भूमि विवादित नही है तथा केता अपीलार्थी शांति पूर्वक दखल कब्जा में चली आ रही हैं।

(3) उतरवादी संख्या–01 के भाई अब्दुल्लाह के नाम से पूर्व से जमाबंदी चली आ रही है।

(4) उतरवादी संख्या–01 और उतरवादी संख्या–01 मो० हसन के भाई अब्दूल्लाह का अपीलार्थी

के दाखिल खारिज होने के किसी प्रकार का कोई आपति नही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के नाम से दाखिल खारिज करने का अनुरोध किया है।

मेरे द्वारा अंचल अधिकारी, कुर्था एवं राजस्व कर्मचारी तथा ग्रामीणों के समक्ष स्थल निरीक्षण किया गया। विवादित भूमि दक्षिण से उत्तर लम्बा भूमि है। अपीलार्थी के पति श्री रामाश्रय यादव ने बताया है कि रामप्रवेश यादव द्वारा उनकी भूमि में बॉउन्ड्री बढ़कर बना लिया है जिसे लेकर व्यवहार न्यायालय में मुकदामा चल रही है। ग्रामीण सबीर अख्तर द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि पर दखल कब्जा इनका नही है। जय कुमार भगत का कहना है कि पूर्व में नापी हुआ था भूमि देवी स्थान तक नही होता है। विवादित भूमि के पश्चिम अन्य ग्रामीणों का मकान बना हुआ है जिसका रास्ता पूरब तरफ है जो विवादित भूमि है।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थीनी ने दाखिल खारिज वाद संख्या–149R27 / 20–21 में दिनांक 18.09.2020 को अंचल अधिकारी, कुर्था के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व यह अपीलवाद दायर किया है। अपीलार्थीनी द्वारा क्षमा याचना आवेदन किया गया है जिसको स्वीकार करते हुए वाद की सुनवाई की गई। अपीलार्थीणी द्वारा विवादित भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 08.07.2019 को मो० हसन, पिता–अब्दुल हकीम मरहुम से खरीदगी किया है। उतरवादी विक्रेता है। विवादित भूमि का जमाबंदी उनके भाई अब्दुल्लाह के नाम पर चल रहा है। मेरे द्वारा अंचल अधिकारी, कुर्था एवं राजस्व कर्मचारी तथा ग्रामीणों के उपस्थित में स्थल निरीक्षण किया गया। अपीलार्थी के पति रामाश्रय यादव द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि को लेकर व्यवहार न्यायालय, अरवल में मुकादमा चल रहा है। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि पर इनका दखल कब्जा नही है। विवादित भूमि के पश्चिम में अन्य ग्रामीण का मकान बना हुआ है जिसका दरवाजा पूरब तरफ है जो वादग्रस्त भूमि है। दाखिल खारिज वाद संख्या–01 / 2021 के अभिलेख का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि को लेकर विवाद अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में चल रहा है। भूमि केता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा में नही है। उतरवादी ने अपने ब्यान तहकीर में उल्लेखित किया है कि रास्ता को लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में धारा 147 द० प्र० सं० की मुकदमा लंबित चल रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, कुर्था के दाखिल खारिज वाद संख्या–149R27 / 20–21 में पारित आदेश में किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नही है। अंचल अधिकारी, कुर्था के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थीणी द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, कुर्था को भेजे। साथ ही मूल अभिलेख को अंचल अधिकारी, कुर्था को वापस करे।

लेखापित एवं संशोधित

09/03/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

09/03/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।